

14/5) एल. ए. लॉक (88831) - 2/13-1139/रा.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार
अधिसूचना

दि०-२५-०५-१३

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-सिराई, थाना नं०-391 चादर नं० 192 परगना- भागलपुर, जिला- बांका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् औद्योगिक इकाईयों एवं संस्थानों की स्थापना के लिए आधार भूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 101.12 एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं। अर्जनाथीन खेसरा सं० - अंश 593,607, पूर्ण 608,609, अंश 611,612,620,624, पूर्ण 626,627,628,629,630,631,632,633,634,635, 636,637, 638, 639, अंश 640, पूर्ण 641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653, अंश 654, पूर्ण 655,656,657, 658,659, 660, 661, 662, 663,664,665,666,667,668,669,670,675, अंश 679,681, पूर्ण 682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699, 700,701,702,703,704,564,705,706,707,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,730,731,732,733,734,735,736,737,738,755,756,757,758,759, 760,761,762,763,764,765,766,767,680

चौहद्दी निम्नप्रकार है:-

उत्तर:- 583,608,609 अंश, 583,629,611,629,627,640,628,629,635,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,644,697,695, 695, 695,695,695,663,647,650,647,658,654,654,632,670,670,670,660,670,662,662,666,691,685, 684,684,684,684, 684,675, 684, 681, 716,716,686,683,686,715,715,707,707,688,689,693,704,693,694,695,694,699,578,564,564,562,708,703,563,703,708,711,सड़क,711, सड़क,सड़क,सड़क,717,सड़क,सड़क,सड़क,719,सड़क,721,722,723,721,727,720,726, 730,730,730, 733,734,735, 736, 737, 754, 755,756,756,758,759,760,761,762,763,764, 765,766,681

दक्षिण :- 593 अंश, 607 अंश, 607,608,611 अंश, 612 अंश, 620 अंश, 624 अंश, 625,624,627,611,629,629,629,629,629,629,629,629,629, 629,629,624,583,643,640,640,640,640,650,649,640,649,640,640,640,640,654,654,654,651,658,658,647,661,647,662,662,662, 662,662,670,657,670,675,679,683,684,675,684,683,686,690,691,685,663,691,694,695,646,641,641,581,698,699,703,703,704, 693,700,693,693,689,707,707,707,715,686,681,716,716,720,727,725,723,724,726,730,730,726,732,654,654,754,735,736,737, 738,739,756,758,759,759,760,761,762,763,764,765,766,772,768,679

पुरब:- 592,607 अंश, 593,593,610,610,611,623,627,620,620,583,631,632,633,634,635,636,637,638,639,583,583,581,696,641, 643,644,645,695,647,648,648,649,651,652,658,656,657,659,650,660,661,663,663,695,691,664,665,666,667,658,662,669,684, 683,686,685,664,691,690,686,689,693,691,694,694,699,698,696,697,581,580,580,564,564,564,701,699,699,704,605,706,708,711, 711,713,714,686,715,717,718,716,719,727,727,727,730,726 अंश, 716,730 अंश, रास्ता, 731,732,732,732,732,732,732,654,सड़क,सड़क, 758,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,सड़क,769,681

पश्चिम:- 609,605,610,610,620,611,628,625,640,626,640,640,640,630,631,632,633,634,635,636,637,638,640 अंश, 643,695,644, 645,646,640,660,650,651,658,652,653,640,654 अंश, 654,655,656,654,657,659,660,670,662,684,666,667,668,669,675, 670 अंश, 675 अंश, 679 अंश, 681 अंश, 681,681,679,683,716,786,715,688,686,690,691,689,691,663,695,696,694,704,703,702,703,704,705,701,706, 707,713,713,713,714,715,717,716 अंश, 718,718 अंश, 721,722,सड़क,721,721,721,सड़क,721,723,सड़क,732,735,सड़क,सड़क,सड़क, सड़क,सड़क,सड़क,सिमाना,सिमाना,सिमाना,757,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,सिमाना,766,681

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 यथा संशोधित XXXVIII 1923 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका के कर्मचारी तथा परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे रेलवे विभाग के कर्मचारी तथा पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य के लिए, प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त रैयती भूमि 101.12 एकड़ है और उसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध भूमि पर लागू नहीं होंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
बांका

अपर समाहर्ता,
बांका

समाहर्ता,
बांका

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
६०/-
(नरोत्तम प्रसाद शिंदे)
सरकार के सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1139/रा दिनांक २५-०५-१३

- प्रतिलिपि :-
1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभारी उपसमाहर्ता, जिला गजट बांका को बांका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 3. समाहर्ता, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 5. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. अंचल अधिकारी, बौसी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग, बिहार, पटना